प्र.पी.-276

कथन – श्री जी.एच. त्रिनाथ रेड्डी

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	जी.एच. त्रिनाथ रेड्डी पिता स्व. जी. भगवती राव
उम्र	–	41 वर्ष
पता	–	मकान नं. 1478, शिवानंद नगर, गणेश मंदिर के पास, खमतराई, रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	मो0–88179–03307
व्यवसाय	–	सहायक लेखा अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर (छ0ग0)

—00—

मैं जी.एच. त्रिनाथ रेड्डी उपरोक्तानुसार, सहायक लेखा अधिकारी के पद पर मई 2013 से नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में पदस्थ हूं, इसके पूर्व फरवरी 2012 से इसी पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, महासमुंद में पदस्थ था। मुख्यालय में मैं मैनेजर पी.डी.एस. **श्री एस.एस. भट्ट** के अधिनस्थ नमक कक्ष का कार्य करता था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03307 है

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03307 पर श्री **मुनीष शाह** नान के नमक सप्लायर का अधिकृत प्रतिधिनि, से उनके मोबाईल नंबर 93011–93876 से हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 15.01.2015 के 17:30:36 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 15.01.2015 के 17:34:09 बजे का कॉल मेरे निजी मोबाईल नंबर से श्री **मुनीष शाह** से उनके मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मुनीष शाह द्वारा बताया था कि एम.डी. श्री टुटेजा साहब ने नमक के रेक का पेमेंट कर दिये हैं और यह भी बताया था कि कल वह एम.डी. साहब से मिल कर उनको नमक सप्लाई के उनके कमीशन का पूरा हिसाब समझाया था और उनके कमीशन का पैसा उन्हें दे दिया है। मुनीष ने यह भी बताया था कि वह भट्ट साहब से मिल कर उन्हें भी एम.डी. का हिसाब करना बता कर नमक रेक

बिल का फाईल चलाने के लिये बोला था तो फाईल उन्होंने एम.डी. के पास भिजवा दिये थी और वहां से पास होकर भट्ट साहब के पास वापस आ गई है। मेरे पूछने पर मुनीष शाह ने यह भी बताया कि नमक का 03 रेक आ रहा है, उसका कमीशन जोड़ कर एम. डी. श्री टुटेजा को उनके पैसे दे दिया है। मुनीष शाह ने टुटेजा साहब को कमीशन का कितना पैसा दिया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है और न ही मुनीष शाह ने मुझे बताया है। इसके बाद मुनीष शाह ने चावल एक्सपोर्ट लाईन में जाने के संबंध में मुझसे पूछा था तो मैंने उसे कहा था कि विशाखापट्नम आ जाओ यही पर बात करेंगे और मैं उसे चावल एक्सपोर्ट करने वाली पार्टियों से बात करवा दूंगा। मुनीष शाह ने मुझसे यह भी कहा था कि विशाखापट्नम से रायपुर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत होता है, कोई पार्टी हो तो उससे भी बात कर लेंगे और चावल एक्सपोर्ट के काम में साथ में जोड़ लेगा। इस पर मैंने मुनीष शाह से कहा था कि गाड़ी वाले ब्रोकर से मैं बात करके बताउंगा। मैं दिनांक 15.01.2015 को पोंगल त्यौहार मनाने छुट्टी लेकर विशाखापट्नम अपने घर गया था, इसी लिये मुनीष शाह को विशाखापट्नम आने के लिये कहा था। यही मेरा कथन है।

ROAC before me.

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ